सं.13/1/2017-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: कावारात्ती और अगात्ती को छोड़कर लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र द्वीपसमूह में और निकोबार द्वीपसमूह में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कठिन क्षेत्र भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए सभी विद्यमान आदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह विनिश्चय करते हैं कि निकोबार द्वीपसमूह के द्वीपों में तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मिनिकॉय, किलतन, एन्ड्रोट, कलपेनी, चेतलत, कदमत, अमिनी और बिथरा में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कठिन क्षेत्र भत्ते का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:-

स्थान जहां तैनात हैं	दर प्रतिमाह
(i) निकोबार द्वीपसमूह के द्वीपों में तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मिनिकॉय द्वीप में	मूल वेतन का 20%
(ii) लक्षद्वीप द्वीपसमूह के द्वीपों (किलतन, एन्ड्रोट, कलपेनी, चेतलत, कदमत, अमिनी और बिथरा द्वीपसमूह) में	मूल वेतन का 12%

2. पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किंतु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा कोई अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है।

3. ऐसे स्थानों के संबंध में जहां एक से अधिक विशेष प्रतिकर भत्ते स्वीकार्य हैं, ऐसे स्टेशनों में तैनात केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पास उस भत्ते का चुनाव करने का विकल्प होगा जिससे उन्हें सर्वाधिक लाभ होता हो, उदाहरण के लिए कठिन क्षेत्र भत्ता अथवा दुर्गम स्थल भत्ता श्रेणी-I, II और III के अंदर मिला दिए गए विशेष प्रतिकर भत्तों में से कोई एक भत्ता।

4. कठिन क्षेत्र भत्ता द्वीपसमूह विशेष ड्यूटी भत्ता, जहां स्वीकार्य हो, के अतिरिक्त स्वीकार्य होगा।

5. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

6. ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से भुगतान किया जाता है और यह व्यय "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" के संगत शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग - मानक वितरण सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि को मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।